भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2047

जिसका उत्तर 14 दिसंबर, 2023 को दिया जाना है।

***

बाढ़ नियंत्रण योजनाएं

2047. श्री कृष्णपालसिंह यादव:

डॉ. सुजय विखे पाटील:

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी के लिए कोई योजना लागू की है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों मे कोई बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे और क्या लाभ मिले तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रेदश में बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी के लिए उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) से (ङ): बाढ़ प्रबंधन राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है और तदनुसार, बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों और अपनी प्राथमिकता के अनुसार कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और संवर्धनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। एकीकृत बाढ़ दृष्टिकोण का उद्देश्य संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों का विवेकपूर्ण मिश्रण अपनाना है ताकि आर्थिक लागत पर बाढ़ के नुकसान से बचने हेतु उचित स्तर की सुरक्षा प्रदान की जा सके। बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को सुदृढ़ करने के लिए मंत्रालय ने बाढ़ प्रबंधन, कटाव रोधी, जल निकासी विकास, समुद्र कटाव रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए 11वीं और 12वीं योजना के दौरान ''बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी)'' कार्यान्वित किया था, जो बाद में वर्ष 2017-18 से 2000-21 की

अवधि के लिए बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और सीमित परिव्यय के साथ इसे सितंबर 2022 तक बढ़ाया गया। अब तक, शुरूआत से इस कार्यक्रम के एफएमपी घटक के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को 7013.22 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। एफएमबीएपी के एफएमपी घटक के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तपोषण के लिए उत्तर प्रदेश की 29 परियोजनाओं को शामिल किया गया था जिनमें से 24 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जो 2.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को और 39.65 लाख की आबादी को बाढ़ से बचाती हैं। एफएमबीएपी के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तपोषण के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों की किसी भी परियोजना को शामिल नहीं किया गया है।

गैर-संरचनात्मक उपायों के लिए, केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) नोडल संगठन है जिसे देश में बाढ़ पूर्वानुमान और शीघ्र बाढ़ चेतावनी का कार्य सौंपा गया है। इस समय, केन्द्रीय जल आयोग 338 पूर्वानुमान केन्द्रों (200 नदी स्तर पूर्वानुमान केन्द्र और 138 बांध/बैराज इंफलो पूर्वानुमान स्टेशन) के लिए बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है। ये स्टेशन 23 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 20 प्रमुख नदी घाटियों को कवर करते हैं। लोगों को निकालने की योजना बनाने और अन्य उपचारात्मक उपाय करने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों को और अधिक समय प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने अपने पूर्वानुमान केन्द्रों पर 7 दिनों के लिए वर्षा-अपवाह गणितीय मॉडलिंग के आधार पर बेसिन-वार बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया है। सीडब्ल्यूसी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में निम्नलिखित बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों का संचालन करता है:

राज्य	**स्तर पूर्वानुमान**	**इनफ़्लो पूर्वानुमान**	**कुल**
महाराष्ट्र	8	14	22
उत्तर प्रदेश	39	5	44
मध्य प्रदेश	2	12	14

*****